



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 1979/आषाढ़ 1, 1901
No. 256] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 1979/ASADHA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 1979

का. आ. 354(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार (सद्वृत्त द्वारा जून, 1979 के 24वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती हैं, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के

सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबन्ध बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाने का नाम	राजस्व थाने की संख्या	जिला
कान्द्रा	सराय केला	45	सिंहभूम

[सं. एस-38013/7/79-एच. आई]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 1979

S.O. 354(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 24th day of June, 1979 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Bihar namely :—

Name of Revenue Village	Name of Revenue Thana	Number of Revenue Thana	District
Kandra	Saraikela	45	Singhbhum

[No. S. 38013/7/79-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.